न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :– 61/2013

प्यारा पिता किशना उर्फ हरिकिशन कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

वादी

बनाम

1–मृतक दल्ला पिता किशना कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं के बजाय :–

1/1– लीला बेवा स्व. दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/2– सुन्दर पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/3– विनोद पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/4– राजमल पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/5– चन्द्रकला पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/6– इन्द्रा पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/7– सन्तोष पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/8– जसोद पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/9– पिन्टू पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/10– हीरू पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/11– देवली पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/12– पायल पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/13– रूप शंकर पुत्र रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

1/14– मीरा बेवा रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं

2– हाबुडिया पिता किशना उर्फ हरिकिशन कंजर निवासी( आदेश दिनांक 22.7.19 से नाम तक)

3– भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं

4– श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री सिद्धान्त बिल्लू
अधिवक्ता वादी
श्री पारस कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 28.03.2025

## निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम पालका प0ह0 शादी में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की संयुक्त कब्जेकाश्त की कृषि आराजीयात स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

| आराजी नम्बर | क्षेत्रफल | रकबा |
|---|---|---|
| 278/94 | 1.2300 हैक्टर | 5.32 |
| 334/278/94 | 0.6070 हैक्टर | 2.62 |
| कीता–2 | 1.8370 हैक्टर | 7.94 |

यह कि कलम नं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में मुझ वादी के पिता किशना उर्फ हरिकिशना का कब्जाकाश्त था। मै वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 सभी शामिल रहते थे। उक्त आराजीयात को विकसित करने में मुझ वादी ने पत्थरकोट चुनाई, कुंआ खुदवाया, ट्यूबवैल लगवाई एवं जो भी खर्चा लगान अन्य खर्च आया उसमें बराबर शरीक रहा। उक्त भूमि पहले गैरखातेदारी में चल रही थी जिसे प्रतिवादी सं0 1 दल्ला ने अपने नाम से खातेदारी करवाई बडाभाई होने से मैने कोई विरोध नहीं किया। दल्ला ने हम दोनो भाईयो को इकरार नामा हमारे पक्ष में 1/3 हक हिस्सा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

का लिखकर दिया उसी अनुसार हम काबिज होकर हमारे हक हिस्से पर काश्त कर रहे है इसलिए यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान में खातेदारी घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत है।

कलम नं0 1 में वर्णित आराजीयात में 4 बीघा कृषि भूमि पर मुझ वादी का दिनांक 15.06. 1999 से लगातार निर्बाध शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस कारण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी मै वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी हो गया हूँ। बाद खातेदारी घोषणा विभाजन मेरे हिस्से का किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाते अलग किए जाने हेतु यह वादपत्र प्रस्तुत है। यह कि प्रतिवादी सं0 1 दल्ला ने मुझे दिनांक 01.06.2013 को मेरे हक हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी दी इसलिए मुझ वादी को यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी

यह कि हमारा पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :—

किशन उर्फ हरिकिशन

|

| दल्ला | हाबूडिया | प्यारा | रामूडी |
|---|---|---|---|

यह कि हमारी बहन रामूडी ने इकरारनामा लिखते समय अपना हक हिस्सा दिनांक 13.1. 1999 को छोड दिया था इसी कारण में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 1/3 प्रत्येक हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि अब इतना समय नहीं बचा है कि धारा 80 जा0दी0 प्र0सं0 का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया जा सके इसलिए धारा 80(2) दी0प्र0सं0 का प्रार्थना पत्र वादपत्र की इजाजत हेतु प्रस्तुत है।

यह कि कलमत नं0 1 में वर्णित कृषि भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत है। भूमिधारी तहसीलदार सहाब प्रकरण में आवयक पक्षकार होन`से व जिला कलक्टर सा. प्रतिनिधी राज्य होने से पक्षकार बनाए गए है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार की डिकी जारी फरमाई जावें :—

क— कि कलम नं0 1 में वर्णित कृषि आराजीयात में मुझ वादी के 1/3 हक हिस्से की घोषणा किए जाने की घोषणात्मक डिकी फरमाई जावें। बाद घोषणा मुझ वादी के 1/3 हक हिस्से का विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाते अलग किए जाने की डिकी फरमाई जावें।

ख— कि प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाए जावे कि व मेरे हक 1/3 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न ही अपने नौकर ऐजेण्ट मजदूर से करावें।

ग— कि वाद व्यय एवं अभिभाषक शुल्क भी मुझ वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

घ— कि अन्य कोई दाद जो सुलभ हो प्रतिवादीगण से दिलाई जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लालूराम कुमावत व पारसकुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए जवाबदावा प्रतिवादी संख्या एक की ओरसे पेश कर निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार से किया कि वादपत्र की कलम संख्या एक में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मुझ प्रतिवादी संख्या एक के खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की होकर काश्त कर चला आ रहा हूँ वादी ने गलत तथ्य अंकित कर वाद प्रस्तुत किया है।

यह कि वादपत्र की कलम संख्या 2 मर्दे वर्णित तथ्य कपोलकल्पित मनगढंत एवं आधारहीन होने से अस्वीकार है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात मुझ प्रतिवादी की खातेदारी की होकर मै मौके पर काश्त कर रहा हूँ तो किस प्रकार वादी कुआ खुदवाना एवं ट्यूबवैल लगाना बता सकता है। वादी ने गलत तथ्य अंकित कर वादपत्र प्रस्तुत किया है प्रतिवादी ने कभी भी उक्त वर्णित कृषि

जीयात में से कोई हिस्सा वादी को नहीं दिया वादी ने गलत तथ्य अंकित कर वाद प्रस्तुत किया प्रतिवादी ने कभी भी कोई ऐसा इकरार नामा निष्पादित नहीं किया। कलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। कलम संख्या 4 में वर्णित तथ्यांशो को वादी स्वयं सिद्ध करें। वर्णित कलम संख्या 5 में तथ्य गीलत होने से अस्वीकार है। कलम संख्या 6,7,8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है ।

जवाब दावा के विशेष कथन में प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि यह कि मुझ प्रतिवादी संख्या एक की ओर से न्यायलय श्रीमान में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 29.06.2013 को वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके साथ ही मुझ प्रतिवादी संख्या एक ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय श्रीमान ने वादी एवं अन्य को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर रखा है।

यह कि वादी ने गलत तथ्यो पर आधारित यह वाद पत्र प्रस्तुत कर मुझ प्रतिवादी संख्या एक की कृषि आराजीयात को हड़पना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझ प्रतिवादी संख्या एक का जवाब वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में तहसीलदार बेगूं प्रतिवादीसंख्या 3 व 4 राज्य सरकार की ओर से उपस्थिती दी किन्तु कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जवाब दावा न्यायालय द्वारा बंद किया गया। पत्रावली में वादी के वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत होने पर निम्न तनकी पत्र पृथक तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है :–

1– आया कि ग्राम पालका प0ह0 शादी की आराजी संख्या 278/94 व 334/278/94 कीता–2 रकबा 1.8370 हैक्टर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा की घोषणा करा पाने के वादी अधिकारी है तथा बाद घोषणा वादी का 1/3 हक हिस्से से विभाजन करा पाने के व रेवेन्यु रिकोर्ड में भी खाता अलग अलग किए जाने के आदेश प्राप्त कर पाने के वादी अधिकारी है?

वादी

2– आया कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत दिनांक 29.06.2013 को वादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके साथ ही मुझ प्रतिवादी संख्या एक ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय श्रीमान ने वादी एवं अन्य को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया, वादी गलत तथ्यो के आधार वादपत्र प्रस्तुत कर मुझ प्रतिवादी संख्या एक की कृषि आराजीयात को हड़पना चाहता है जिसका उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है?

प्रतिवादी

3– दादरसी

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य हेतु वादी प्यारा पिता किशना उर्फ हरिकिशन कंजर ने अपना साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया,व गवाह मांगीलाल पिता भूरा गुजर,कमलेश पिता दलपत कंजर सुरेश पिता उग्रसैन कंजर के प्रस्तुत किये। प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र की प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी को दी गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा मुख्य परीक्षण में वादी प्यारा के बयानो को कलमबद्ध कराया वादी द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श करा अपने बयान कलमबद्ध किये जिरह में वादी द्वारा वाद वर्णित भूमि पर उनका हिस्सा होकर उस पर कब्जा काश्त होने का कथन कहा है तथा फसल मक्की आदि बो रहा हूँ की बात जिरज में की है । सम्पूर्ण जमीन 12 बीघा भूमि होना बताया है, भूमि पर प्रारम्भ से ही उनके पिता के समय से तीनों ही भाईयो का कब्जा बाराबर होने का कथन किया है। तथा दल्ला द्वारा एक इकरार नामा लिखे जाने की बात अपने बयानो में कही है। इसी प्रकार गवाह सुरेश पिता अग्रसेन कंजर से भी जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा करते हुए बयान कलमबद्ध कराये है जिन्होने भी जमीन तीनो भाईयो की हैं।तीनो ने मिलकर कुआ खुदवाया है। इस प्रकार पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण की गई। पत्रावली में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु अवसर दिये गये। प्रतिवादीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री पारस कुमावत द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होने का अंकन पत्रावली में किया गया (नो–इन्स्ट्रक्शन प्लीड) तथा प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं आने से मामला प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा का किया जाने का आदेश दिया गया।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पत्रावली में प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश हो जाने से पत्रावली में एक बहस अधिवक्ता वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गई जिन्होंने अपनी बहस को वाद पत्र के अनुसार करते हुए वाद वर्णित आराजीयात में अपना हक हिस्सा 1/3 की घोषणा कराने व हिस्सानुसार भूमि का विभाजन किये जाने का निवेदन किया है साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का भी अपनी बहस में किया कि प्रतिवादी मुझ वादी के हिस्से में जबरन दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अन्य से करावे इस हेतु पाबंद फरमावें। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्रदर्श–1 लिखित इकरार नामा के अवलोन करने का भी निवेदन किया तथा भूमि पर कब्जा काश्त होने हेतु मौका रिपोर्ट भी तलब किये जाने का निवेदन किया। इस दावा पत्रावली में पूर्व मे ही मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा.दी. को स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौजा पालका की आराजी संख्या 278/94, 334/278 कीता–2 कुल रकबा 1.8370 हैक्टर भूमि इन्द्राबाई पुत्री दल्ला 1/9, चन्द्रकला पुत्री दल्ला 1/9, जसोदा पुत्री दल्ला 1/9, ना0बा0 देवली पुत्र रामकरण संरक्षक माता मीरा 1/54, ना0बा0 पायल पुत्री रामकरण 1/54ड पिन्टुडी पुत्री रामकरण 1/54, मीरा पत्नी स्व0 रामकरण 1/54, ना0बा0 रूपाशंकर पुत्र रामकरण 1/54, हीरा पुत्री रामकरण 1/54, हीरा पुत्री रामकरण 1/54, ना0बा0 राजमल पुत्र दल्ला स0प0 माता लीला 1/9, लीला पत्नी स्व0 उदल्ला 1/9, विनोद पुत्र दल्ला 1/9, संतोष पुत्री दल्ला 1/9 सुन्दरलाल पुत्र दल्ला 1/9, कंजर निवासीयान पालका के नाम दर्ज रिकोर्ड है।

यह कि लगभग 14 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर दल्ला हावुडिया प्यारा पिता किशन कंजर सा0 पालका काश्त करते थे। उक्त भूमि दल्ला कंजर के नाम खातेदारी में दर्ज थी। दल्ला कंजर की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नराम दर्ज हुई। लगभग 14 वर्ष पूर्व उक्त भूमि के संबंध में विवाद हुआ था एवं भूमि 10 वर्ष तक पडत रही। वर्ष 2021से सम्पूर्ण भूमि पर दल्ला के वारिसान काश्त करने लग गये एवं प्यारा कंजर को बेदखल कर दिया हाबुडिया कंजर लाऔलाद फोत हो गयां वर्तमान मे प्रश्नगत भूमि पर स्व0 दल्ला कंजर के वारिसान काश्त कर रहे है।

इस प्रकार पत्रावली पर मौका रिपोर्ट प्राप्त होने एवं एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिनका उल्लेख करते हुए एवं प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पत्रावली में कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय :–</u>

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में जो दस्तावेज पेश किये है उनमें मुख्य ईकरारनामा जो कि प्रदर्श– 1 है ईकरार नामा दल्ला पिता हरिकिशन कंजर द्वारा कुल 12 बीघा जमीन मे से 4 बीघा भूमि प्यारा पिता हरिकिशन कंजर को यानि 1/3 हिस्सा ग्राम पालका की प्यारा सगाभाई होने से देने का अंकन किया है साथ हीं 4 बीघा यानि 1/3 हक हिस्सा भूमि अपने सगे भाई हावुडिया पिता हरिकिशन को देने का अंकन किया हुआ है । यह ईकरारनामा दिनांक 13.1.1999 को लिखा गया है जो 20/– रूप्ये के स्टाम्प पर लिखा गया है तथा यह ईकरारनामा अपंजीकृत है। ईकरारनामा पर दल्ला का अंगूठा निशानी होकर गवाह मांगीलाल पिता भूरा गुर्जर निवासी शादी एवं घीसालाल पिता उदा जी द्वारा गवाही दी हुई है। इस प्रकार इस दस्तावेज से सिद्ध है कि भूमि वादी को 4बीघा यानि कुल भूमि में से 1/3 हिस्सा प्यारा पिता हरिकिशन को दी गई है। जहॉं तक इस अपंजीकृत ईकरारनामा का प्रश्न है इसका विरोध प्रतिवादीगण द्वारा नहीं किया है, साथ ही इसके पंजीकृत किये जाने पर भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। जहॉं तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो मौका रिपोर्ट अनुसार यह तथ्य सामने आये है कि लगभग 14 वर्ष पूर्व उक्त भूमि पर दल्ला हावुडिया प्यारा पिता किशन कंजर सा0 पालका काश्त करते थे। तथा बाद में विवाद होने के कारण दल्ला के वारिसान ने प्यारा कंजर को बेदखल कर दिया तथा हावुडिया कंजर लाऔलाद फोत हो गया। नकल जमाबंदी मौजा पालका की सम्वत 2066 से 2069 का अवलोकन से पाया कि आराजी संख्या 278/94 व 334/278/94 कीता–2 रकबा 1.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

हैक्टर भूमि के खातेदार श्री दल्ला पिता किशन कंजर सा.देह दर्ज अंकित है। प्रकरण में [illegible]की भी मृत्यु हो चुकी है। वर्तमान में यह भूमि दल्ला के वारिसान के नाम पर दर्ज अंकित है।

दावा पत्रावली के सभी बिन्दुओं का अवलोकन किये जाने पर तथ्य जो पाये गये है उनके यह सामने आया है कि वाद वर्णित भूमि पर प्रारम्भ से कब्जा काश्त वादी के पिता हरिकिशन कंजर का रहा उसी समय से इस भूमि पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। भूमि को बराबर हक से खाते करवाने के लिए खातेदार दल्ला पिता किशन कंजर द्वारा एक ईकरारनामा जो कि 20/— रूपये स्टाम्प पर लिखा गया वह वर्ष 1999 को लिखा गया है जिसमें तीनो भाई का हिस्सा भूमि 1/3–1/3–1/3 होने का अंकन है। यानि भूमि पर कब्जे का जहाँ तक प्रश्न आता है तो प्रतिकूल कब्जा काश्त भी वादी का सिद्ध होता है। जिसके आधार पर वादी अपने हक हिस्से की 1/3 भूमि को अपने नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।तथा भूमि का वादी विभाजन करा पाने के भी अधिकारी पाये जाते है, साथ ही यह तथ्य भी सामने आया है कि पूर्व मे वादी इस भूमि पर काश्त करते थे लेकिन दल्ला के वारिसान द्वारा वादी को बेदखल किया गया है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के भी वादी अधिकारी पाये जाते हैं। इस प्रकार तनकी नं0 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2— <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::—

इस तनकी को सिद्ध करोन का भार प्रतिवादी का है जिन्होने इस दावा पत्रावली वादपत्र का जवाब प्रस्तुत किया है किन्तु कोई दस्तावेज या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिवादी का कथन है कि उन्होने इसी न्यायालय में एक वादपत्र वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रस्तुत कर रखा है लेकिन उसकी कोई प्रमाणित प्रति इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की गई है। जहाँ तक इस न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का प्रश्न आता है तो इस न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश यदि दिया भी होगा तो कानून व्यवस्था बनाए रखे जाने के लिए दिया होगा लेकिन इसका भी को सबूत इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने जवाब को जरिये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। जिससे यह तनकी नम्बर विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकी जो कि दस्तावेज साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित की गई है जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा पालका प0ह0 शादी की आराजी संख्या 278/94 व 334/278/94 कीता—2 रकबा 1.8370 हैक्टर भूमि में वादी प्यारा पिता किशना उर्फ हजरिकिशन कंजर निवासी शादी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष भूमि बदस्तूर जमाबंदी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रहेगी। वादी का हिस्सा 1/3 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का रखते हुए वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/— कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौड़गढ़ (राज0)
## पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :- 61/2013
प्यारा पिता किशना उर्फ हरिकिशन कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1-मृतक दल्ला पिता किशना कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं के बजाय :-
1/1- लीला बेवा स्व. दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/2- सुन्दर पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/3- विनोद पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/4- राजमल पुत्र दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/5- चन्द्रकला पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/6- इन्द्रा पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/7- सन्तोष पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/8- जसोद पुत्री दल्ला कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/9- पिन्टू पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/10- हीरू पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/11- देवली पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/12- पायल पुत्री रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/13- रूप शंकर पुत्र रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
1/14- मीरा बेवा रामकरण कंजर निवासी शादी तह0 बेगूं
2- हाबुडिया पिता किशना उर्फ हरिकिशन कंजर निवासी( आदेश दिनांक 22.7.19 से नान तक)
3- भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूं
4- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियन

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धान्त बिल्लू . की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री ................................ की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88-53-188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.03.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-53-188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। 88-53-188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है :-

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88-53-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा पालका प0ह0 शादी की आराजी संख्या 278/94 व 334/278/94 कीता-2 रकबा 1. 8370 हैक्टर भूमि में वादी प्यारा पिता किशना उर्फ हजरिकिशन कंजर निवासी शादी को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। शेष भूमि बदस्तूर जमाबंदी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रहेगी। वादी का हिस्सा 1/3 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का रखते हुए वर्णित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1000/- कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 28.03.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/263 दिनांक :- 6.5.25

प्रा.पत्र संख्या 61/13 प्यारा बनाम दल्ला में दिये गये आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)